

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

मांग संख्या 29

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाकर बजट आबंटन नीचे दी गई है;

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	912.40	7.58	919.98	870.73	7.56	878.29	1031.00	7.56	1038.56	
पूँजी	157.50	...	157.50	149.27	0.02	149.29	154.00	2.14	156.14	
जोड़	1069.90	7.58	1077.48	1020.00	7.58	1027.58	1185.00	9.70	1194.70	
1. सचिवालय सेवाएं										
1.1 सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	...	3.17	3.17	...	2.77	2.77	...	2.77	
1.2 पूर्वोत्तर परिषद का सचिवालय	2070	...	4.41	4.41	...	4.79	4.79	...	4.79	
जोड़	...	7.58	7.58	...	7.56	7.56	...	7.56	7.56	
2. पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं	2552	108.00	...	108.00	100.00	...	100.00	110.00	...	
	3601	290.00	...	290.00	207.00	...	207.00	301.50	...	
	7601	32.30	...	32.30	23.14	...	23.14	33.50	...	
जोड़	430.30	...	430.30	330.14	...	330.14	445.00	...	445.00	
3. आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण/सुधार	4552	25.00	...	25.00	10.00	...	10.00	5.00	...	
4. सरकारी उद्यमों में निवेश	4853	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	
5. पूर्वोत्तर हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम को आयोजना-भिन्न ऋण	6851	0.02	0.02	...	2.14	
6. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड को अनुदान	2885	15.40	...	15.40	15.40	...	15.40	24.50	...	
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए संसाधनों के केंद्रीय पूल से अनुदान	3601	495.00	...	495.00	544.33	...	544.33	585.00	...	
8. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए संसाधनों के केंद्रीय पूल से ऋण	7601	55.00	...	55.00	60.48	...	60.48	65.00	...	
9. विज्ञापन और प्रचार	2250	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	5.00	...	
10. तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण	2250	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	5.00	...	
11. अन्य कार्यक्रम	4552	44.70	...	44.70	55.15	...	55.15	50.00	...	
कुल जोड़	1069.90	7.58	1077.48	1020.00	7.58	1027.58	1185.00	9.70	1194.70	
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
4.01. सिक्किम खनन निगम लि0	12853	0.50	0.82	1.32	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
जोड़		0.50	0.82	1.32	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
ग. योजना परिव्यय										
1. अलौह खनन एवं धातु उद्योग	12853	0.50	0.82	1.32	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
2. औद्योगिक वित्तीय संस्थायें	12885	15.40	...	15.40	15.40	...	15.40	24.50	...	24.50
3. अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	10.00	...	10.00
जोड़	19.90	0.82	20.72	19.90	...	19.90	35.00	...	35.00	
राज्य योजनाएं										
1. पूर्वोत्तर क्षेत्र	43601	500.00	...	500.00	395.29	...	395.29	500.00	...	500.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए संसाधनों का केंद्रीय पूल	43601	550.00	...	550.00	604.81	...	604.81	650.00	...	650.00
जोड़	1050.00	...	1050.00	1000.10	...	1000.10	1150.00	...	1150.00	
जोड़	1069.90	0.82	1070.72	1020.00	...	1020.00	1185.00	...	1185.00	

- 1.1 यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के व्यय के लिए है।
- 1.2 यह प्रावधान पूर्वोत्तर परिषद के सचिवालय के व्यय के लिए है।
2. पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई थी, जिसका उद्देश्य सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों का एकीकृत आर्थिक विकास सुनिश्चित करना था। परिषद का मुख्यालय शिलांग में है। परिषद के उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र का संतुलित विकास करना शामिल है। परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए सम्मिलित महत्व के मामलों के संबंध में एक एकीकृत एवं समन्वित क्षेत्रीय योजना तैयार करके इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है।
3. यह कार्य सीमा सड़क संगठन के माध्यम से किया जाता है जो निर्माण कार्य करता है तथा चालू सड़क स्कीमों को पूरा करने की ओर भी ध्यान केंद्रित करता है।
4. सिक्किम खनन निगम सिक्किम सरकार एवं भारत सरकार की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी है जिसका इक्विटी शेयर पूंजी अनुपात 51:49 है। सिक्किम खनन निगम की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए धनराशि जुटाने हेतु प्रावधान किया गया है क्योंकि उक्त निगम को बन्द किये जाने का निर्णय लिया गया है।
5. पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम की स्थापना मार्च, 1977 में की गई थी ताकि उत्पादों के लिए विकासात्मक एवं प्रौन्नत इनपुट्स और डिजाइन विकास, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकीयों का दर्जा बढ़ाने और क्षेत्र के तैयार उत्पादों को न केवल देश में बल्कि विदेश में भी बेचने की व्यवस्था की जा सके।
6. एन.ई.डी.एफ.सी. लि. का निगमन कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 9 अगस्त, 1995 को किया गया था, जिसका पंजीकृत कार्यालय गुवाहाटी में है।

एन.ई.डी.एफ.सी. लि. का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तथा वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य औद्योगिक, आधारभूत ढांचा तथा बागवानी परियोजनाओं की पहचान कर उनका वित्तपोषण तथा देख-रेख कर पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

7 और 8. केन्द्रीय संसाधन पूल का प्रमुख उद्देश्य क्षेत्र में विशिष्ट व्यवहार्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं/योजनाओं के लिए बजटीय सहायता के प्रवाह में वृद्धि कर पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में आधारभूत ढांचे के तीव्र विकास को सुनिश्चित करना है। इसमें बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

9. यह व्यवस्था क्षेत्र की क्षमता का प्रदर्शन करने, पारदर्शिता बढ़ाने तथा मंत्रालय के क्रियाकलापों के बारे में जागरूकता में वृद्धि करने के लिए है।

10. क्षमता निर्माण के लिए बजट प्रावधानों द्वारा इस क्षेत्र में राज्यों की सांस्थानिक क्षमता अड़चने, जो परियोजना तैयार करने, परियोजनाओं की मानीटरिंग एवं मूल्यांकन आदि से संबंधित है, दूर होने की आशा है। योजना तैयार करने, भावी योजनाओं, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने, प्रभाव अध्ययन एवं मूल्यांकन रने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी जिससे राज्य सरकार और कार्यान्वयक एजेंसियों को अपना निष्पादन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी।

11. 50 सीटों वाले विमान की सेवाएं शुरू करके पूर्वोत्तर राज्यों के बीच अन्तःक्षेत्रीय सम्पर्क बढ़ाने तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधीकरण लि. की सहायता से पूर्वोत्तर क्षेत्र के मौजूदा विमानपत्तनों के सुधार पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए यह प्रावधान किया गया है।